न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00044 (19/2019) — **दायरा दिनांक : 26.02.2019**

उनवान

मदनलाल वल्द नारायण जाति गाडरी निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

1– कल्याण वल्द नारायण जाति गाडरी निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)
2– बीरम वल्द रोडूलाल
3– बदामबाई उर्फ बदाबबाई पत्नी स्व. रोडूलाल
जाति गाडरी निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)
4– बीरमलाल वल्द गोपी
5– जगन्नाथ वल्द गोपी
6– कन्हैयालाल उर्फ कन्हीराम वल्द गोपी
जाति गाडरी निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)
7– शान्तिबाई पुत्री गोपी पत्नी मदनलाल जाति गाडरी निवासी टीकरिया
8– ललताबाई पुत्री गोपी पत्नी कजोड़ जाति गाडरी निवासी ढाबा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाइ (राज0)
9– दाखाबाई पुत्री गोपी पत्नी गुलाबचन्द जाति गाडरी निवासी ढाबा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)
10– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मनोहरथाना जरिये शाखा प्रबन्धक
11– एस.बी.आई. बैंक शाखा सरेडी जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा सरेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़
12– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्या 2019/00043 (18/2019) — **दायरा दिनांक : 26.02.2019**

उनवान

मदनलाल वल्द नारायण जाति गाडरी निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

1– कल्याण वल्द नारायण जाति गाडरी निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)
2– बीरम वल्द रोडूलाल
3– बदामबाई उर्फ बदाबबाई पत्नी स्व. रोडूलाल
जाति गाडरी निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)
4– बीरमलाल वल्द गोपी
5– जगन्नाथ वल्द गोपी
6– कन्हैयालाल उर्फ कन्हीराम वल्द गोपी
जाति गाडरी निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7– शान्तिबाई पुत्री गोपी पत्नी मदनलाल जाति गाडरी निवासी टीकरिया

8– ललताबाई पुत्री गोपी पत्नी कजोड़ जाति गाडरी निवासी ढाबा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)

9– दाखाबाई पुत्री गोपी पत्नी गुलाबचन्द जाति गाडरी निवासी ढाबा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)

10– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मनोहरथाना जरिये शाखा प्रबन्धक

11– एस.बी.आई. बैंक शाखा सरेडी जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा सरेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

12– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)

–रेस्पोडेन्ट्स

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री श्याम सुन्दर शर्मा एवं रेखा कुमारी मेहर अभिभाषक अपीलांट की ओर से श्री अमर सिंह लववंशी एवं श्री मुकेश लोधा अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : **06.12.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या 165/दावा/2017, 164/2017 एवं 167/2017 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.01.2018 तथा निर्णय एवं फाईनल डिकी दिनांक 22.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बुधवाडा पटवार हल्का टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 9 पुराना 15 की खसरा नं. 86 की 1.11 बीघा, खसरा नं. 87 की 4.04 बीघा, खसरा नं. 88 की 4 बीघा, खसरा नं. 89 की 1.02 बीघा, खसरा नं. 194 की 1.10 बीघा, खसरा नं. 198 की 2.05 बीघा, खसरा नं. 241 की 1.17 बीघा, खसरा नं. 244 की 2.01 बीघा, खसरा नं. 247 की 2.06 बीघा, खसरा नं. 595 की 2.06 बीघा, खसरा नं. 597 की 0.03 बीघा, खसरा नं. 613 की 2.15 बीघा, खसरा नं. 614 की 1.13 बीघा, खसरा नं. 617 की 0.06 बीघा, खसरा नं. 618 की 2.18 बीघा, खसरा नं. 621 की 1.10 बीघा, खसरा नं. 623 की 0.04 बीघा, कुल 17 किता की कुल 32.11 बीघा आराजी तथा खाता संख्या नया 16 पुराना 13 की खसरा नं. 573 की 13 बिस्वा, खसरा नं. 574 की 2.15 बीघा, खसरा नं. 575 की 3.03 बीघा कुल 3 किता की 6.01 बीघा आराजी जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के शामिलाती खाते में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 10.01.2018 से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी दिनांक 22.06.2018 जारी की, जिनसे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 165/17 जो ग्राम बुधवाडा की 17 किता आराजीयात 32 बीघा 11 बिस्वा के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय में श्री गजेन्द्रनाथ नामा एडवोकेट के जरिये दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6–10–2017 को प्रस्तुत किया जाना एवं दिनांक 10–10–2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जारीकर वास्ते जवाब दिनांक 17–10–17 की पेशी नियत की जाना प्रकट होता है मगर दिनांक 17–10–17 को कोर्ट सिटिंग नहीं होना एवं लिपिक द्वारा बी ओ लिखकर दिनांक 21–11–17 को पेश हो लिखा जाना प्रकट होता है। दिनांक 21–11–17 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 व 8 ता 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है, लिखा होना प्रकट होता है किन्तु इस आदेशिका में यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायालय द्वारा सम्मन दिनांक 17–10–17 की पेशी के लिये कब जारी किये गये क्योंकि दिनांक 17–10–17 को दिनांक 21–11–17 की पेशी हेतु सम्मन जारी करने का कोई आदेश नहीं है। आर्डरशीट पर भी ऐसा कोई नोट दर्ज नहीं है जिससे यह साबित हो कि किस तारीख को किस तारीख की पेशी के लिए सम्मन जारी किये। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 जिसमें अपीलान्ट भी शामिल है सम्मन की तामील किस तरह से करवाई गई साबित नहीं है क्योंकि अपीलान्ट को कभी भी किसी तरह के सम्मन प्राप्त नहीं हुये, प्रतिवादीगण नम्बर 8 लगायत 12 के सम्मन की तामील किस विधि से कब कैसे कहाँ करवायी गयी है क्योंकि सभी का निवास अलग अलग है। आश्चर्य की बात है कि तहसीलदार मनोहरथाना की और से बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। वास्तविकता यह है व्यक्तिगत रूप से अपीलान्ट को कभी सम्मन की तामील ही नहीं हुई इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 6 व प्रतिवादी नम्बर 8 व 9 पर व्यक्तिगत रूप से कभी भी सम्मन की तामील नहीं करवायी गई क्योंकि आदेश 5 जा.दी. के उपबन्धों के अनुसार उचित तामील नहीं मानी जा सकती। सन्देहास्पद तामील होने से एक पक्षीय आदेश और उसके आगे अमल में लाई कार्यवाही की पुष्टि नहीं की जा सकती इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

दिनांक 20–12–17 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 7 के विरूद्ध भी तामील मानकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है इस संदर्भ में भी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी नम्बर 7 को व्यक्तिगत रूप से तामील हुई या नहीं अथवा तामील किस तरह से करवायी गई क्योंकि आर्डरशीट पर ऐसा कोई नोट अंकित नहीं है कि प्रतिवादी नम्बर 7 को दिनांक 20–12–2017 की पेशी के लिए किस दिनांक को सम्मन जारी किये गये इसलिए यह तामील भी संदिग्ध है। एक पक्षीय साक्ष्य वादी का आदेश विधि विरुद्ध है। दिनांक 21–12–2017 को एक पक्षीय साक्ष्य के रूप में किया गया शपथ पत्र भी दोषपूर्ण है। दिनांक 20–12–2017 को वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का प्रार्थना पत्र जिसके द्वारा दावा संख्या 164/17 कल्याण बनाम मदन व वाद संख्या 167/17 कल्याण बनाम मदन स्वीकार कर इन दोनों दावों की पत्रावली दावा संख्या 165/17 के साथ संलग्न करने का आदेश भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वाद में शामिल करवाये गये दोनों दावे दावा संख्या 165/17 में वर्णित आराजीयात से सम्बन्धित नहीं है अपितु दावा संख्या 165/17 के पक्षकारान भिन्न है खाते व गांव भी अलग अलग है। इसलिए दिनांक 10–1–2018 को पारित एक पक्षीय और एक पक्षीय प्रारम्भिक डिक्री विधि विरूद्ध होने से रद्द होने योग्य है।

वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 कल्याण ने दावा संख्या 165/17 को धारा 53 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया है जिसमें बुधवाड़ा की 32 बीघा 11 बिस्वा आराजी में से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी 1/6 हिस्सा आराजी विभाजन कर दिलवाने व मौके पर कब्जा दिलवाने की मांग की है इसी प्रकार दावा संख्या 164/17 व 167/17 वर्णित आराजीयात में से विभाजन करवाकर हिस्से अनुसार आराजी उसके पृथक खाते दर्ज करने और उसके हिस्से में आने वाली आराजी पर मौके पर कब्जा दिलवाने की मांग की है कानूनन तीनों गावों में स्थित आराजीयात में सभी सहखातेदारान के प्रत्येक इंच आराजीयात में संयुक्त कब्जा माना जावेगा। वादी की इच्छा या उसके प्रतिनिधि की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इच्छानुसार कानून की मूल आत्मा को नहीं मारा जा सकता अपितु पीट्स व बाउन्ड्स के मुताबिक किस्म के मुताबिक अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी आराजीयात का हिस्से अनुसार चयन होगा मगर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के कब्जे अनुसार पेपर पार्टीशन तैयार करने की निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री के जर्ये छूट दे दी जो विधि विरूद्ध है एवं निर्णय व प्राथमिक डिक्री जैर अपील रद्द होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मय खर्चा स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड द्वारा दावा संख्या 165/17, 164/17, 167/17 में वर्णित आराजीयात के संदर्भ में पारित एक पक्षीय निर्णय एवं एक पक्षीय प्रारंभिक डिक्री खारिज की जाकर अपीलांट व अन्य प्रभावित सहखातेदारान को जवाब प्रस्तुत करने एवं पक्ष प्रस्तुत करने उनकी उपस्थिति में सुनवाई करने के अवसर देकर न्यायोचित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित करने हेतु आवश्यक निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने की कृपा करे।

अपील संख्या 2019/00043 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के अंतिम डिक्री दिनांक 22–06–2018 से स्पष्ट है कि उस तिथि को पत्रावली लोक अदालत कैम्प बनेठ पर पेश हुई। उस आर्डरशीट पर वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हस्ताक्षर है जिसमें वादीगण उपस्थित होना लिखा गया है जब कि वादी एक ही है। आगे लिखा गया ''तहसील से वांछित विभाजन पत्र प्राप्त हो चुका है। अतः मुताबिक विभाजन पत्र अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दाखित दफ्तर हो, नम्बर से कम हो। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि कथित विभाजन पत्र तैयार करने से पूर्व तीनों खातों और दोनों गावों बुधवाड़ा, टोडरीमीरा के समस्त सहखातेदारान को बुलवाया गया या नहीं, उन्हें सूचना दी गई या नहीं, किस तरह से सूचना दी गई निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित विभाजन का नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया, सभी सहखातेदारान से आपत्ति ली गई या नहीं यह सारी कार्यवाही किस तारीख व समय को किस स्थान पर की गई, कथित विभाजन पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ उन्होंने प्रस्ताव व नक्शे का अवलोकन कब किया मगर उन्होंने कथित विभाजन पत्र के संबंध में प्रभावित सहखातेदारान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 2 लगायत 9 की आपत्तियां सुने बगैर ही अन्तिम डिक्री जारी करने का आदेश दे दिया जो मनमाना होने से अन्तिम डिक्री जैर अपील खण्डित होने योग्य है।

अन्तिम डिक्री जैर अपील एक पक्षीय जारी की गई है नियम 20 जा०दी० के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसार पक्षकारान यानि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 9 को आदेश पारित एक पक्षीय अन्तिम डिक्री 22–06–18 की प्रति तत्काल भिजवाकर सूचित करना आवश्यक था ताकि प्रभावित पक्षकार समय पर अपील या आपत्ति प्रस्तुत कर सके। मगर जानबूझकर बाध्यकारी नियमों का पालन नहीं किया गया जिससे वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 कल्याण ने जर्ये नामा0 सं. 997 दिनांक 31–07–2018 से खाता संख्या 9 बुधवाडा की 32.11 बीघा व खाता संख्या 10 बुधवाड़ा की 7.09 बीघा के रेकार्ड में मनमाना अंकन व फेरबदल करवा लिया एवं खाता संख्या 16 ग्राम टोडरीमीरा की 6.01 बीघा आराजी के रेकार्ड में जर्ये नामान्तरण संख्या 967 दिनांक 31–07–2018 मनमाना फेरबदल व अंकन करवा लिया जो ज्यूडिशियल नहीं होने से रद्द होने योग्य है एवं अन्तिम डिक्री जैर अपील खण्डित होने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मय खर्चा स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना द्वारा अध्यक्ष लोक अदालत मनोहरथाना झालावाड़ की हैसियत से कैम्प बनेठ पर दावा संख्या 165/17 में वर्णित ग्राम बुधवाड़ा की 32 बीघा 11 बिस्वा आराजी, दावा संख्या 164/17 में ग्राम टोडरीमीरा की 6.01 बीघा आराजी एवं दावा सख्या 167/17 में ग्राम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बुधवाडा में स्थित 7.09 बीघा आराजी के सम्बन्ध में पारित की गई अन्तिम डिक्री जैर अपील खण्डित किये जाने और उसके आधार पर ग्राम बुधवाडा की 32.11 बीघा व 7.09 बीघा आराजीयात के रेकार्ड में जर्ये नामान्तरण संख्या 997 दिनांक 31–07–2018 एवं ग्राम टोडरीमीरा में स्थित 6.01 बीघा आराजी के रेकार्ड में जर्ये नामान्तरण संख्या 967 दिनांक 31–07–2018 को रद्द करने एवं इस आशय का नोट लाल स्याही से नामान्तकरण रजिस्टर एवं राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबन्दीयां पर दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांटगण को बिना सूचना के निर्णय दिया है, जिसकी जानकारी दिनांक 29.10.2018 को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी नं. 1,6,8,12 को सम्मन तामील नहीं हुए उनको सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया। तीन दावों को एक साथ कंसोलीडेट कर निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। तीनों दावे के पक्षकार अलग–अलग थे। दिनांक 21.11.2017 को एकतरफा निर्णय किया गया जबकि पीठासीन अधिकारी दौरे पर थे। हमें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। बंटवारा सही नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में लिखा गया वादीगण उपस्थित जबकि एक ही वादी उपस्थित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में मनमाना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हमें सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि कल्याण वादी द्वारा धारा 53 आरटीएक्ट का दावा किया गया था। प्रतिवादीगण तामील होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। बंटवारा प्रस्ताव जो तहसीदार द्वारा प्रस्तुत किया गया वो सही है, केवल हमारे ही हिस्से का बंटवारा किया है जो सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दि 10/01/2018 के विरूद्ध अपील सं. 2019/00044 (18/2019) पेश कर मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट को सम्मन की तामील नहीं हुई इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय दवारा दिनांक 21/11/2017 को अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गयी, जो खारिज होने योग्य है। इसी प्रकार अन्य प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट को भी सम्मन की तामील विधिसम्मत रूप से नहीं करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट प्रतिवादी नम्बर एक के कथनों की पुष्टि होना नहीं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पाया जाता। अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 मदनलाल को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी सम्मन पर प्राप्तकर्ता के रूप में [illegible]नाबाई की अगूंठा निशानी दर्ज है जिसे तामील कुलिंदा ने अपीलांट मदनलाल की पत्नी होना अंकित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीपीसी के आदेश–5, नियम–15 के अनुसार सम्मन की तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है। सीपीसी के इस प्रावधान के तहत प्रतिवादी अपीलांट मदनलाल का यह कथन की उसे सम्मन की तामील विधिवत रूप से नहीं करवाई गई स्वीकार योग्य नहीं है। अन्य प्रतिवादीगण को जारी सम्मन पर तामील कुलिंदा द्वारा बाद तामील रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे सम्मन की तामील होना स्पष्ट है। अन्य प्रतिवादीगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष बाद सूचना उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी प्रकार की आपत्ति उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी है। इससे यही स्पष्ट होता है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10/01/2018 के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री में भी वादी के तीनों दावों को कंसोलीडेट करते हुए प्रस्तुत जमाबंदियों में दर्ज वादी के हिस्से अनुसार ही ग्राम बुधवाडा के खसरा सं. 9 की 17 किता की 32.11 बीघा आराजी में से वादी के हिस्से की 1/6 भाग, ग्राम टोडरीमीरा की खाता संख्या 16 की 3 किता की 6.01 बीघा में से वादी के हिस्से की 1/3 भाग तथा बुधवाडा की खाता सं. 10 की 2 किता की 7.09 बीघा आराजी में से वादी के हिस्से की 1/3 भाग आराजी वादी के कब्जे के अनुसार पृथक कर दर्ज करने हेतु तहसीलदार मनोहरथाना को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने इस एकपक्षीय आदेश में वादी के कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हेतु निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार शामलाती खाते की आराजी पर सभी सहखातेदारों का विभाजन से पूर्व प्रत्येक इंच आराजी पर समान हक व अधिकार माना गया है। जब तक सहखातेदारों के मध्य कोई परिवारिक समझौता होकर सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में तस्दीक नहीं हो जाता, तब तक कब्जे के आधार पर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत नहीं होने के कारण इसकी पालना में तहसीलदार द्वारा वादी के कब्जे के अनुसार तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव भी विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट दवारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अपील संख्या 2019/00044 (18/2019), एवं 2019/00043 (19/2019) आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.01.2018 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.06.2018 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रषित की जाती है कि उभयपक्ष को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान का पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

06/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा